अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार पटना।

सकारण आदेश

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया का पत्रांक–889 अनु0 दिनांक–27.0 2020, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का पत्रांक–638 अनु0 दिनांक–28.05.2020 ए मुख्य अभियंता–3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–3706 अनु0 दिनांक–30.05.2020 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रा सड़क योजनान्तर्गत थवैइया से शीकोइया पथ (पैकेज सं0–BR-37R-643) निर्माण कार्य को एकरारित अवधि पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक आदित्य सुपर एग्रीकॉन प्रा0 लि0, (निबंधन सं0–1180065) को कालीसूची डालने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया व पत्रांक–2319 दिनांक–13.12.2018, पत्रांक–27 दिनांक–05.01.2019, पत्रांक–846 दिनांक–18.04.2019 पत्रांक–1057 दिनांक–15.06.2019, पत्रांक–3175 दिनांक–06.11.2019 एवं पत्रांक–41 अनु0 दिनांक–11.01.2020 द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु स्मारित कराया गया। अनेक स्मार के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–52 अनु0 दिनांक–14.01.2020 द्वारा जमानत की राशि जब्त करते हुए विषयगत पथ से संबंधित एकरारनामा सं0–38SBD PMGSY/2018-19 को विखंडित किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 04.09.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.09.2019 थी।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1681 दिनांक 02.06.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया। विभागीय समीक्षोपरान्त संवेदक आदित्य सुपर एग्रीकॉन प्रा0 लि0, (निबंधन सं0–1180065) को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया है।

अतएव क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में **संवेदक आदित्य सुपर एग्रीकॉन प्रा0 लि0, (निबंधन सं0–1180065), ग्राम–चौरिया टोला, धूमनगर, थाना–जगदीशपुर, जिला– पश्चिम चम्पारण** को बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 के कंडिका–11 (क) उप कंडिका–VI में निहित प्रावधानों एवं बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं0 154 दिनांक – 18.06.2015 के कंडिका 8 के उप कंडिका–1(a) **(कार्य एकरारनामा को विखंडित किये जाने पर)** के आलोक में 10 (दस) वर्षों के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:– मु0अ0–04 (मु0) कालीसूची–34–22/2020 – 1991 /पटना, दिनांक 19/6/20

प्रतिलिपि :– **संवेदक आदित्य सुपर एग्रीकॉन प्रा0 लि0, (निबंधन सं0–1180065), ग्राम–चौरिया टोला, धूमनगर, थाना–जगदीशपुर, जिला– पश्चिम चम्पारण** को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– मु0अ0–04 (मु0) कालीसूची–34–22/2020 – 1991 /पटना, दिनांक– 19/6/20

प्रतिलिपि :– सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन ~~विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार,~~ पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/2

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– मु0अ0–04 (मु0) कालीसूची–34–22/2020 – 1991 /पटना, दिनांक– 19/6/

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/06/2

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– मु0अ0–04 (मु0) कालीसूची–34–22/2020 – 1991 /पटना, दिनांक– 19/6/2020

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/2

अभियंता प्रमुख